उत्तर प्रदेश सरकार

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

अनुभाग—1

विविध

23 सितम्बर, 1991 ई0

सं0 6300/ अटठावन—1—91—192(1)—82—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह'क' सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा नियमावली, 1991

भाग एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह'क— सेवा नियमावली 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रदवृत्त होगी।

2— सेवा की प्रास्थिति— उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह'क' सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' के पद समाविष्ट है।

3— परिभाषायें— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिफल बात न हो, इस नियमावली में——

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(घ)''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ड.)मैदानी संवर्ग में सम्मिलित पदों के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश से है और पर्वतीय संवर्ग में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (पर्वतीय क्षेत्र), उत्तर प्रदेश से है।

(च) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा से है।

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो— संवर्ग

4— सेवा का संवर्ग——(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी मैदानी संवर्ग और पर्वतीय संवर्ग के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट 'क' (1) और परिशिष्ट 'क' (2) में दी गयी है।

परन्तु यह कि——

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का समय–समय पर सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित पद समझें।
(ग) राज्यपाल दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से संवर्ग में दो या अधिक अनुभागों या उपअनुभागों का विलयन कर सकते है या नये अनुभागों या उपअनुभागों का सृजन कर सकते है।

(3) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों को निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया जायेगा:

मैदानी संवर्ग

अनुभाग– क.... निदेशन और प्रशासन
अनुभाग–ख ... उद्यान विकास
अनुभाग–ग .... खाद्य प्रसंस्करण
अनुभाग घ ...... प्रयोग और प्रशिक्षण
अनुभाग–ड. .... सांख्यिकी

पर्वतीय संवर्ग

अनुभाग–क ....निदेशन और प्रशासन
अनुभाग–ख .... उद्यान विकास
अनुभाग–ग .....खाद्य प्रसंस्करण
अनुभाग–घ ..... प्रयोग और प्रशिक्षण

टिप्पणीः– (1) अधिकारियों का मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण अनुज्ञेय नही होगा।

(2) अधिकारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में और एक उपअनुभाग से दूसरे उपअनुभाग में स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

भाग तीन– भर्ती

5– भर्ती का स्रोत––– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :

(1) निदेशक– सेवा में निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकरियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पद पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

यदि नियम (1 के अनुसार नियुक्ति करने के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही है, राज्यपाल शासन के किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा किसी भी उपलब्ध स्रोत से सावधि संविदा पर नियुक्ति कर सकते है।

(2) अपर निदेशक –– सेवा में अपर निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पदों पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) संयुक्त निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक––– सेवा में संयुक्त निदेशक,/ परियोजना प्रबन्धक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पद या पदों पर कम से कम दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चंयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4)उपनिदेशक और अनुभाग ख, ग, घ, ड. और अन्य समकक्ष पद––– तत्समान अनुभागों या अनुभाग घ के उपअनुभागों में, यथास्थिति, ठीक निचले पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पद या पदों पर कम से कम पांच वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी–––ऊपर खण्ड(4) के अर्न्तगत आने वाले पदों के विवरण परिशिष्ट ''ख–1'' और ''ख–2'' में दिये गये हैं।

6– **आरक्षण** –– अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार– भर्ती की प्रक्रिया

7– रिक्तियों का अवधारण– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –(1) निदेशक, अपर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक और संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर और अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, की जायेगी।

(2) निदेशक के पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे।

1– सरकार के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2– सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
3– सरकार के सचिव, कार्मिक विभाग में ..	.सदस्य
4–सरकार के सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में	सदस्य

(3) निदेशक से भिन्न पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

1– सरकार के सचिव, कार्मिक विभाग में या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न पद का नही होगा।

2– सरकार के सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में:

3– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी– सरकार का ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(5) चयन समिति, उपनियम (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर बिचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं

(6) चयन समिति भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगी।

भाग– पांच– नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9– नियुक्ति–– (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय।

10– परिवीक्षा–– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढायी जायेगी :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या, जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11— स्थायीकरण — (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके पद पर स्थायी कर दिया जायेगा। यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन संबंधित व्यक्ति द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा के आदेश को स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

12— ज्येष्ठता — किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेंगी।

भाग छः—वेतन इत्यादि

13— वेतनमान— (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट क(1) और परिशिष्ट क (2) में दिये गये है।

14— परिवीक्षा अवधि में वेतन — (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पर धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि मं वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा:

भाग–सात :– अन्य उपबन्ध

15–पक्ष समर्थन–– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक,विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

16– अन्य विषयों का विनियमन–– ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो , सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

17– सेवा की शर्तो में शिथिलता –– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहा वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे , अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

18– व्यावृत्ति–– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क(1) – मैदानी संवर्ग (नियम 4(2) और 13(2) देखिये)

क0 सं0	अनुभाग या उप–अनुभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
			स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) निदेशन और प्रशासन)	1– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तर प्रदेश	.	1	1	5100–150–6150 रूपये
		2– अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण	1	.	1	3700–125–4700–150–5000 रूपये
		3– संयुक्त निदेशक (उद्यान)	1	.	1	3200–100–3500–125–4875 रूपये
		4–संयुक्त निदेशक (शाकभाजी)	1	.	1	तदैव
		5–संयुक्त निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)	1	.	1	तदैव

2.	(ख)उद्यान विकास	1—उपनिदेशक, उद्यान, मुख्यालय	1	.	1	3000—100—3500—125—4500 रूपये
		2— उपनिदेशक (आलू) उत्तर प्रदेश	1	.	1	तदैव
		3— उपनिदेशक,उद्यान (मण्डलीय)	7	4	11	तदैव
		4— आम विकास अधिकारी	.	1	1	तदैव
		5— अमरूद विकास अधिकारी	.	1	1	तदैव
		6— आंवला विकास अधिकारी	.	1	1	तदैव
		7— भूमि परिसीमन वास्तुविद्	.	1	1	तदैव
3—	(ग)खाद्य प्रसंस्करण	1— उपनिदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)	1	.	1	3000—100—3500—125—4500 रूपये
4.	(1) प्रयोग एवं प्रशिक्षण उद्यान शोध	1— उपनिदेशक, उद्यान एवं प्रभारी अधिकारी	2	.	2	3000—100—3500—125—4500 रूपये
		2— औद्यानिकी	1	.	1	तदैव
		3—शाकभाजी विशेषज्ञ	.	1	1	तदैव
		4—मुख्य औद्यानिकी लखनऊ/ इलाहाबाद	.	2	2	तदैव
		5— नीबू प्रजाति विशेषज्ञ	.	1	1	तदैव
	(2) रसायन विज्ञान	1—रसायनज्ञ	1	.	1	तदैव
		2— जीव रसायनज्ञ	1	.	1	तदैव
	(3) कीट विज्ञान	कीट विशेषज्ञ	1	.	1	तदैव
	(4) वनस्पति विज्ञान	1—फल रोगाणुविद्	1	.	1	तदैव
		2—विषाणुविद	1	.	1	तदैव
		3—दैहिकीविद्	1	.	1	तदैव
	5— खाद्य प्रौद्योगिकी	1—खाद्य प्रौद्योगिक विद्	1	.	1	तदैव
		2— प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण)	1	.	1	तदैव
5.	(ड.)साख्यिकी	उपनिदेशक (साख्यिकी)	1	.	1	तदैव

परिशिष्ट--क(2): पर्वतीय संवर्ग (नियम 4(2) और 13 (2) देखिये)

1	(क)निदेशन और प्रशासन	1— निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1	.	1	5100—150—6150 रूपये
		2— अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1	.	1	3700—125—4700—150—5000 रूपये
		3— परियोजना प्रबन्धक	.	1	1	3200—100—3500—125—4875 रूपये
		4— संयुक्त निदेशक	.	1	1	तदैव
		योगः—	**2**	**2**	**4**	
2.	(ख)उद्यान विकास	1—उपनिदेशक (मुख्यालय)	1	.	1	3000—100—3500—125—4500 रूपये
		2— उपनिदेशक (नियोजन)	1	.	1	तदैव
		3— उपनिदेशक (सभन्वय)	.	1	1	तदैव

		4– उपनिदेशक (मण्डल)	2	.	2	तदैव
		योगः–	4	1	5	
3.	(ग) खाद्य प्रसंस्करण	1– उपनिदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)	.	1	1	3000–100–3500–125–4500 रूपये
		योग–	.	1	1	
4.	(घ) प्रयोग एवं प्रशिक्षण (एक) उद्यान	1–उपनिदेशक, उद्यानएवं प्रभारी अधिकारी	1	.	1	3000–100–3500–125–4500 रूपये
		2– मुख्य औद्यानिकी	2	1	3	तदैव
4	(घ)(एक) उद्यान	3–ज्येष्ठ औद्यानिकी	1	.	1	तदैव
		4–उद्यान प्रसार विशेषज्ञ	.	1	1	तदैव
		5–उत्पादन अर्थशास्त्री	.	1	1	तदैव
		6–पौधशाला विशेषज्ञ	.	1	1	तदैव
		7– सस्य विज्ञानी शाकभाजी	.	1	1	तदैव
		योगः–	4	5	9	
	(दो)वनस्पति विज्ञान एक–कवक विज्ञान दो–रोगाणु विज्ञान तीन–विषाण विज्ञान चार–मशरूम पांच–पौध दैहिकी विज्ञान	1–फल एवं शाकभाजी अभिजनक	1	.	1	3000–100–3500–125–4500 रूपये
		2–आनुवंशिक विज्ञान	1	.	1	तदैव
		3–ब्रीडर (मैडिसिनल) एवं एरोमेटिक (प्लांट)	.	1	1	तदैव
		4–ज्येष्ठ शाकभाजी / अभिजन	.	1	1	तदैव
		5–जीव प्रौद्योगिक विद्	.	1	1	तदैव
		6–परियोजना समन्वयक (मशरूम)	.	1	1	तदैव
		7–फल दैहिकी विद्	.	1	1	तदैव
	(तीन) रसायन विज्ञान	रसायन विज्ञान/ जीव रसायन तक पर्ण विश्लेषक	.	1	1	3000–100–3500–125–4500 रूपये
	(चार) कीट विज्ञान	ज्येष्ठ कीट विशेषज्ञ	.	1	1	3000–100–3500–125–4500 रूपये

परिशिष्ट ख–1–मैदानी संवर्ग (नियम 5 के नीचे टिप्पणी देखिये)

अनुभाग, उपअनुभाग का नाम	भरे जाने वाले पद का नाम	पोषक संवर्ग में अनुभाग, उपअनुभाग का नाम	पोषक संवर्ग, जिसके पदधारियों को स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा
1	2	3	4
(ख) उद्यान विकास अनुभाग	1– उपनिदेशक उद्यान 2–उपनिदेशक (आलू) 3– आम विकास अधिकारी 4– अमरूद विकास अधिकारी 5–आंवला विकास अधिकारी 6–भूमि परिसीमन वास्तुविद्	उद्यान विकास अनुभाग	1– जिला उद्यान अधिकारी 2–अधीक्षक राजकीय उद्यान 3–आलू एवं शाकभाज विकास अधिकारी 4–औद्यानिकी (मुख्यालय) 5–शाक–भाजी प्रसार अधिकारी 6–पौधशाला अधिकारी 7–शोध अधिकारी(नियोजन) 8–कृषि उद्यान अधिकारी 9–प्राविधिक अधिकारी(प्रदर्शनी)

			10—पुष्प विज्ञानी
(ग) खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग	1—उपनिदेशक, खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग	1—प्रधानाचार्य फूड काफ्ट संस्थान 2—फल विकास अधिकारी 3—प्रसार सेवा अधिकारी 4—खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी
(घ) प्रयोग एवं प्रशिक्षण अनुभाग 1—उद्यान शोध उप अनुभाग	1—उपनिदेशक : उद्यान एवं प्रभारी अधिकारी 2—उद्यान विज्ञानी 3—सब्जी विशेषज्ञ 4—मुख्य उद्यान विज्ञानी 5—नीबू प्रजाति विशेषज्ञ	उद्यान उप अनुभाग	1—सहायक उद्यान विज्ञानी 2—औद्यानिकी 3—फल विज्ञानी 4—उद्यान प्रसार विज्ञानी 5—प्रसार औद्यानिकी अधिकारी (प्रशिक्षण) 6—पौधशाला अधिकारी प्रशिक्षण 7—शाकभाजी अधिकारी
2—रसायन उप अनुभाग	1—रसायनज्ञ 2—जीव रसायनज्ञ 3—उतक पर्ण विश्लेषक	रसायन उपअनुभाग	1—सहायक रसायनज्ञ 2—शीतगृह रसायनज्ञ 3—जीव रसायनज्ञ 4—मृदा रसायनज्ञ 5—भैषज्यकीय रसायनज्ञ
3—कीट विज्ञान उप अनुभाग	1—कीट विशेषज्ञ	कीट विज्ञान उप अनुभाग	1—सहायक कीट विज्ञानी 2—कीट विज्ञानी श्रेणी—2 3—मौन विशेषज्ञ 4—पौध संरक्षण अधिकारी
4—वनस्पति विज्ञान उप अनुभाग	1—फल रोग विज्ञानी 2—वाइरस विज्ञानी 3—शरीर क्रिया विज्ञानी	वनस्पति विज्ञान उपअनुभाग	1—सहायक व्याधिविद् 2—कनिष्ठ पौध व्याधिविद् 3—सहायक कवक विज्ञानी 4—सहायक क्रिया विज्ञानी
5—खाद्य प्रौद्योगिकी उप अनुभाग	1—खाद्य प्रौद्योगिकीविद 2—प्रभारी अधिकारी	खाद्य प्रौद्योगिकी उप अनुभाग	सहायक खाद्य अभियन्ता
(ड.)साख्यिकी अनुभाग	1—उपनिदेशक(सांख्यिकी)	सांख्यिकी अनुभाग	1—सांख्यिकीय अधिकारी 2—शोध अधिकारी(अनुश्रवण)

परिशिष्ट ख—2—पर्वतीय संवर्ग (नियम 5 के नीचे टिप्पणी देखिये)

अनुभाग, उपअनुभाग का नाम	भरे जाने वाले पद का नाम	पोषक संवर्ग में अनुभाग, उपअनुभाग का नाम	पोषक संवर्ग, जिसके पदधारियों को स्तम्भ—2 में उल्लिखित पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा
1	2	3	4
(ख) उद्यान विकास अनुभाग	1— उपनिदेशक (मुख्यालय) 2—उपनिदेशक (नियोजन) 3— उपनिदेशक (समन्वय) 4— उपनिदेशक (मंडलीय)	उद्यान विकास अनुभाग	1— जिला उद्यान अधिकारी 2—आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी। 3—पौधशाला विकास अधिकारी। 4—औद्यानिकी । 5—उद्यान अधीक्षक 6—शाकभाजी विशेषज्ञ। 7—प्रसार अधिकारी। 8— कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी 9—प्रभारी अधिकारी

(ग)खाद्य प्रसंस्करण	1—उपनिदेशक, खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग	1—प्रधानाचार्य फूड, काफ्ट'। 2— खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी।
(घ) प्रयोग एवं प्रशिक्षण (एक)उद्यान	1—उपनिदेशक उद्यान एवं प्रभारी अधिकारी 2—मुख्य औद्यानिकी 3—ज्येष्ठ औद्यानिकी 4—उद्यान प्रसार विशेषज्ञ 5—उत्पादन अर्थशास्त्री (उत्पादन अर्थ विज्ञानी) 6—पौधशाला विशेषज्ञ 7—सस्य विज्ञानी (शाकभाजी)	उद्यान	1—उद्यान विज्ञानी 2—कनिष्ठ उद्यान विज्ञानी 3— उद्यान प्रसार अधिकरी 4—सस्य विज्ञानी (शाकभाजी)
(दो) वनस्पति विज्ञान	1—फल एवं शाकभाजी अभिजनक 2—आनुवंशिक विज्ञानी 3—ब्रीडर (मैडीसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लान्ट) 4—ज्येष्ठ सब्जी प्रजनक 5—जीव प्रौद्योगिकी विद् 6— परियोजना समन्वयक (मशरूम) 7—फल क्रियाविज्ञानी	(एक) फल एवं शाकभाजी प्रजनन (दो) कवक विज्ञान (तीन)पौधरोग विज्ञान (चार)पौधक्रिया विज्ञान (पांच) बाइरस विज्ञान (छ')मशरूम	1—बीज परीक्षण अधिकरी। 2—सहायक प्रजनक। 3— पौध क्रिया विज्ञान। 4— कवक विज्ञान। 5— सहायक पौध रोग विज्ञानी। 6— वाइरस विज्ञान। 7— प्रसार अधिकारी (मशरूम) 8— कनिष्ठ पोध रोग विज्ञानी। 9— शाकभाजी अभिजनक। 10—सहायक फल अभिजनक। 11—पौध रोग विज्ञानी।
(तीन) रसायन विज्ञान	रसायन/ जीव रसायन/ ऊतक पर्ण विश्लेषक	रसायन विज्ञान	1— मृदा रसायन। 2—भेषज्यकीय रसायन। 3—सहायक जीवन रसायनज्ञ।
(चार) कीट विज्ञान	ज्येष्ठ कीट विज्ञानी	कीट विज्ञान	1— कीट विज्ञानी। 2—प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ। 3—कीट विज्ञानी (मौनपालन)।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1
संख्या 3075/अठ्ठावन–1–97–727/92
लखनऊ:दिनांक:30 जुलाई, 1997

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह"क" सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट ख–2 का संशोधन 2–उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 में, परिशिष्ट ख–2 पर्वतीय संवर्ग में, स्तम्भ 4 में अन्त में वर्तमान प्रविष्टि "3–कीट विज्ञानी (मौनपालन) के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि "4–पौध संरक्षण अधिकारी" रख दी जायेगी।

आज्ञा से
ह0/–
(सुरजीत कौर सन्धू)
सचिव

niyamavali-Cl-1

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1
संख्या 3075/अठ्ठावन–1–97–727/92
लखनऊःदिनांकः30 जुलाई, 1997

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद्–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ''क'' सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः

उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ''क'' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह''क'' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट ख–2 का संशोधन 2–उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ''क'' सेवा नियमावली, 1991 में, परिशिष्ट ख–2 पर्वतीय संवर्ग में, स्तम्भ 4 में अन्त में वर्तमान प्रविष्टि ''3–कीट विज्ञानी (मौनपालन) के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि ''4–पौध संरक्षण अधिकारी'' रख दी जायेगी।

आज्ञा से
ह0/–
(सुरजीत कौर सन्धू)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution the governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 6300/ 58-1-91-192(1)-82, dated September 23, 1991

No. 6300/ 58-1-91-192(1)-82,
September 23, 1991

In exercise of the [powers conferred by the provison to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group-A Service.

THE UTTAR PRADESH HORTICULTURE AND FOOD PRÓCESSIING GROUP A SERVICE RULES, 1991

Part-I—General

1- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group A, Service Rules, 1991.
(2) They shall come into force at once.

2- **Status of the Service.**—The Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group A Service is a State Service comprising Group A posts.

3- **Definitions.** – In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:
(a) Appointing authority" means the Governor;
(b) "Constitution" means the Constitution of India.
(c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
(d) " Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
(e) "Director" means the Director of Horticulture and Food Processing (Plains), Uttar Pradesh in relation to the post included in the Plains Cadre, and the Director of Horticulture and Food Processing (Hill), Uttar Pradesh in relation to the posts included in the Hill Cadre;
(f) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service.
(g) "service" means the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group A service;
(h) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
(i) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II—Cadre

4- Cadre of service. -- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the governor from time to time.

(2)The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in appendix A (1) and Appendix A(2) in respect of Plains Cadre and Hill Cadre respectively:

Provided that –

(a) The appointing authority may leave unfilled or the governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, from time to time, as he may consider proper,

(c) The governor may merge two or more sections or sub-sections or create new sections or subsections in the cadre with a view to promoting efficiency.

(3) The various categories of posts in the service shall be divided into the following sections:

PLAINS CADRE

Section A—Direction and Administration.
Section B—Horticulture Development.
Section C – Food Processing.
Section D—Experiment and Training.
Section E—Statistics.

HILL CADRE

Section A – Direction and Administration.
Section B—Horticulture Development.
Section C – Food Processing.
Section D – Experiment and Training.

NOTES--(1) Transfers of officers from plains to the hills and from hills to the plains shall not be permissible.

(2) Transfers of officers from on section to another section and from on sub-section to another sub-section shall not be permissible.

Part-III-- Recruitment

5-Source of Recruitment. – Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Director – By promotion through selection Committee from amongst officers holding substantive appointment on post in the service, next below the rank of Director, as have completed two years substantive service on such post on the first day of July of the year of recruitment.

If suitable candidates are not available for appointment in accordance with sub rule (1), the governor may make appointment by deputation from any other department of the government or on tenure contract from any available source.

(2) **Additional Director**-- By promotion through selection Committee from amongst officers holding substantive appointment on posts in the service next below the rank of Additional director, as have completed two years substantive service on such post on the first day of July of the year of recruitment.

(3) Joint Director/ Project Manager – By promotion through Selection committe from amongst such officers holding substantive appointment on posts in the service next below the rank of Joint director/ Project Manager as have completed at least two years substantive service on such post or posts on the first day of July of the year of recruitment.

(4) Deputy Director and other equivalent posts in sections B.C.D. and E. – By promotion through selection committee from amongst such officers holding substantive appointment on posts in the corresponding section or sub-section of section D, in next lower service as the case may be, as have completed at least five years substantive service on such post or posts on the first day of July of the year recruitment.

Note- Details of posts covered by clause (4) above are given in Appendix 'B-1' and 'B-2'

6- **Reservation.** - Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of Government in force at the time of recruitment.

Part-IV—Procedure for Reqruitment

7- **Determination of vacancies**. – The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

8- **Procedure for recruitment by promotion** -(1) Recruitment by promotion to the posts of Director, Additional Director, Project Manager and Joint Director shall be made on the basis of merit and to other posts on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

(2) For the purpose of recruitment to the post of Director, there shall be constituted a Selection committee comprising –

1- Chief Secretary to government --Chairman

(2) Agriculture Production commissioner and Principal Secretary to Government in Agriculture Production and Rural Development Department. --Member

(3) Secretary to government in Personnel Department. --Member

(4) Secretary to government in Horticulture and Food Processing Department. --Member

(3) For the purpose of recruitment to posts other than that of the Director there shall be constituted a Selection committee comprising –

1- Secretary to government in Personnel Department or an officer nominated by him, who shall not be below the rank of Joint Secretary.
2- Secretary to government in Horticulture and Food Processing Department.
3- Director, Horticulture and Food Processing, Uttar Pradesh.

NOTE- The senior Secretary to Government shall be the Chairman of the Selection Committee.

(4) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidate in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts out side the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(5) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (4) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(6) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

Part V – Appointment, Probation, Confirmation and Seniority.

9- Appointment -- (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 8.

(2) If more than on order of appointment are issued in respect of any on selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

10- Probation.-- (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstance, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of promotion that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11- Confirmation- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmend in hiş appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if –

(a) His work and conduct are reported to be satisfactory,
(b) His integrity is certified and
(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provision of the Uttar Pradesh State Government Servants, Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary the order under subrule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12- Seniority.- The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar pradesh government Servants, Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

Part VI- Pay etc.

13- Scales of pay. -- (1) The scales of pay admissible to persons appointed tothe various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in appendix A (1) and Appendix A (2).

14- **pay during Probation**. - (1) Notwithstanding any provision in the fundamental Rules to the contrary, a per on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed on year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The Pay during probation of a person who was already holding a post under the government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extensionshall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by relevant rules applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VII- Other Provisions

15- **Canvassing-** No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

16- **Regulation of other matters**. – In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

17- **Relaxation from the conditions of service**. – Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating th condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements or that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

18- **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the government issued from time to time in this regard.

By order,
Harish Chandra,
Secretary.

Appendix-A(1): Plains Cadre
See Rules 4(2) and 13(2)

S. N.	name of Section of sub-section	Name of post	No. of posts			Scale of Pay
			Parmanant	Temporary	total	
1	2	3	4	5	6	7
1	A- Direction and Administration	1- Director, Horticulture and Food Processing,	-	1	1	Rs. 5100-150-6150
		2- Additional Director, Horticulture and Food Processing.	1	-	1	Rs. 3700-125-4700-150-5000
		3- Joint Director (Horticulture)	1	-	1	Rs. 3200-100-3500-125-4875
		4- Joint Director (Vegetable)	1	-	1	Ditto.
		5- Joint Director (Food Processing)	1	-	1	Ditto.
2-	B- Horticulture Development	1- Deputy Director (Headquarters)	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Deputy Director (Potato), Uttar Pradesh	1	-	1	Ditto.
		3- Deputy Director (Horticulture) Divisional	7	4	11	Ditto.
		4-Mango Development Officer.	-	1	1	Ditto.
		5-Guava Development Officer.	-	1	1	Ditto.
		6-Aonla Development Officer	-	1	1	Ditto.
		7-Land Scape Architect	-	1	1	Ditto.
3-	C- Food Processing	1-Deputy Director Food Processing	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
4-	D- Experiment and Training: (I) Horticulture Research	1- Deputy Director, Horticulture-cum-Officer Incharge.	2	-	2	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Horticulturist	1	-	1	Ditto.
		3- Vegetable Specialist	-	1	1	Ditto.
		4- Chief Horticulturist Lucknow/Allahabad	-	2	2	Ditto.
		5- Citrus Specialist	-	1	1	Ditto.
	(2) Chemistry	1- Chemist	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Bio-Chemist	1	-	1	Ditto.
	(3)Entomology	3- Entomologist	1	-	1	Ditto.
	(4)Botany	1-Fruit Pathologist.	1	-	1	Ditto.
		2-Virologist	1	-	1	Ditto.
		3-Physiologist	1	-	1	Ditto.
	(5) Food Technology	1-Food Technologist 2-Officer Incharge (Training)	1 1	- -	1 1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
5	E-Statistics	Deputy Director(Statistics)	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500

Appendix-A(2): Hill Cadre
See rules 4(2) and 13(2)

S. N.	name of Section of sub-section	Name of post	No. of posts			Scale of Pay
			Parmanant	Temporary	total	
1	2	3	4	5	6	7
1	A- Direction and Administration	1- Director, Horticulture and Food Processing,	1	-	1	Rs. 5100-150-6150
		2- Additional Director, Horticulture and Food Processing.	1	-	1	Rs. 3700-125-4700-150-5000
		3- Project manager	-	1	1	Rs. 3200-100-3500-125-4875
		4- Joint Director	-	1	1	Ditto.
		Total	**2**	**2**	**4**	
2-	B- Horticulture Development	1- Deputy Director (Headquarters)	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Deputy Director (Planning)	1	-	1	Ditto.
		3- Deputy Director (Coordination)	-	1	1	Ditto.
		4- Deputy Director (Division)	2	-	2	Ditto.
		Total	**4**	**1**	**5**	
3-	C- Food Processing	1-Deputy Director Food Processing	-	1	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		Total	**-**	**1**	**1**	
4-	D- Experiment and Training: (I) Horticulture	1- Deputy Director, Horticulture-cum-Officer Incharge.	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Chief Horticulturist	2	1	3	Ditto.
		3- Senior Horticulturist	1	-	1	Ditto.
		4- Horticulture Extension Specialist.	-	1	1	Ditto.
		5- production Economist	-	1	1	Ditto.
		6- Nursery Expert	-	1	1	Ditto.
		7- Agronomist Vegetable	-	1	1	Ditto.
		Total	**4**	**5**	**9**	
	(II) Botony (i)Mycology (ii) Pathology (iii) Virology (iv) Mushroom (v) Plant Physiology	1- Fruit and Vegetable Breeder.	1	-	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
		2- Geneticist	1	-	1	Ditto.
		3- Breeder (Med.) and Aromatic (Plant)	-	1	1	Ditto.
		4- Senior Vegetable Breeder.	-	1	1	Ditto.
		5- Bio-Technologist	-	1	1	Ditto.
		6- Project Co-ordinator (Mushroom)	-	1	1	Ditto.
		7- Fruit Physiologist	-	1	1	Ditto.
	(III) Chemistry	Chemistry/ Bio-Chemistry/ Tissue leaf Analist.	-	1	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500
	(IV)Entomology	Senior Entomologist	-	1	1	Rs. 3000-100-3500-125-4500

APPENDIX B (1): Plains Cadre
(See Note Below Rule 5)

name of Section/ Sub-section	Designation of the post to be filled	Name of Section/ Subsection in the feeding cadre	Designation of the posts in the feeding cadre, the incumbants of which will be included in the field of eligibility for promotion to the post mentioned in Column 2
1	2	3	4
(B) Horticulture Development Section.	1-Deputy Director (Horticulture) 2-Deputy Director (Potato) 3-Mango Development Officer 4-Guava Development Officer 5.Aonla Development Officer 6.Land Scape Architect	Horticulture Development Section	1-District Horticulture officer. 2-Superintendent Government Gardens 3-Potato and Vegetable Development Officers. 4-Horticulturist (Headquarters) 5-Vegetable Extension Officers 6-Nursery officer. 7-Research officer(Planning) 8-Agriculture Horticulture officer. 9-Technical Officer(Exhibition) 10.Floriculturist.
(C) Food Processing	1-Deputy Director Food Processing	Food Processing Section	1-Principal Food Craft Institutes. 2-Fruit Development Officers. 3-Extension Service Officer. 4-Food Processing Officers.
(D) Experiment and Training section (1)Horticulture Research Sub-section	1-Deputy Director, Horticulture- cum- Officer Incharge. 2-Horticulturist 3-Vegetable Specialist 4-Chief Horticulturist 5-Citrus Specialist	Horticulture Sub-section	1-Assistant Horticulturist 2-Horticulturist 3-Pomologist 4-Extension Horticulturist 5-Horticlture Officer(Training) 6-Nursery Officer Training 7-Vegetable Officer.
(2)Chemistry Sub-Section	1-Chemist 2-Bio Chemist 3-Tissue Leaf Analyst	Chemistry Sub-Section	1-Assistant Chemist 2-Cold Storage Chemist 3-Bio Chemist 4-Soil Chemist 5-Pharmacological Chemist
(3) Entomology Sub Section	1-Entomologist	Entomology Sub-Section	1-Assistant Entomologist 2-Entomologist, Class-II 3-Apiarist 4-Plant Protection Officer.
(4) Botany Sub-Section	1-Fruit Pathologist 2-Virologist 3-Physiologist	Botany Sub-Section	1-Assistant Plant Pathologist 2-Junior Plant Pathologist 3-Assistant Mycologist 4-Assistant Physiologist
(5) Food Technology Sub-Section	1-Food Technologist 2-Officer Incharge	Food Technology Sub-Section	1-Assistant Food Engineer.
(F) Statistics Section	1-Deputy Director (Statistics)	Statistics Section	1-Statistical Officer. 2-Research Officer (Monitoring)

APPENDIX B (2): Hill Cadre

name of Sectin/ Sub-section	Designation of the post to be filled	Section/ Subsection in the feeding cadre	Designation of the posts in the feeding cadre, the incembants of which will be included in the field of eligibility for promotion to the post mentioned in Column 2
1	2	3	4
(B) Horticulture Development Section.	1-Deputy Director (headquarter) 2-Deputy Director (Plan) 3-Deputy Director (Coo-ordination) 4-Deputy Director (Division)	Horticulture Development Section	1-District Horticulture officer. 2-Potato and Vegetable Development Officer. 3-Nursery Development Officer. 4-Horticulturist. 5-Garden Superintendent. 6-Vegetable Specialist. 7-Extension Officer. 8-Junior Floriculturist. 9-Officer Incharge.
(C) Food Processing	1-Deputy Director Food Processing	Food Processing Section	1-principal Food Craft. 2-Food Processing Officer.
(D) Experiment and Training. (1)Horticulture	1-Deputy Director, Horticulture- cum- Officer Incharge. 2-Chief Horticulturist 3-Senior Horticulturist. 4-Horticulutre Extension Specialist. 5-production Economist. 6-Nursery Expert. 7-Agronomist (Vegetable)	Horticulture	1-horticulturist 2-Junior Horticulturist. 3-Horticulture Extension Officer. 4-Agronomist (Vegetable)
(ii) Botany	1-Fruit and Vegetable Breeder. 2-Geneticist 3-Breeder (Medicine and Aromatic Plant) 4-Senior Vegetable Breeder. 5-Bio-Technologist 6-project Co-ordinator (Mushroom) 7-Fruit Physiologist	(i)Fruit and Vegetable Breeding (ii)Mycology (iii) Plant Pathology (iv)plant Phisiology. (v) Varology. (vi) Mushroom.	1-Seed Testing Officer. 2-Assistant Breeder. 3-Plant Physiology. 4-Micology. 5-Assistant Plant Pathologist. 6-Virologist 7-Extension Officer (Mushroom) 8-Junior Plant Pathologist. 9- Vegetable Breeder. 10- Assistant Fruit Breeder. 11- Plant Pathologist
(iii) Chemistry	Chemistry/ Bio-chemistry/ Tissue Leaf Analyst	Chemistry	1-Soil Chemist. 2-Pharmacological Chemist 3- Assistant Bio-Chemist.
(iv) Entomology	Senior Entomologist	Entomology	1-Entomologist. 2-State Aparist. 3-Entomologist (Bee-Keeping) 4-Plant Protection officer.

आज्ञा से,
ह0 / –
(हरीश चन्द्र)
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clauses(3) article 348 of the constituion, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 3075/58-1-97-727/92, dated 30-7-1997

Government of Uttar Pradesh
Horticulture and Food Processing Section-1
Notification
Miscellations
No 3075/58-1-97-727/92
Dated:Lucknow:30 July 1997

In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group-A service Rules, 1991:

THE UTTAR PRADESH HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING GROUP-A SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES 1997

Short title and commencement.	1-These rules may be called the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group-A Service (First Amendment) Rules, 1997. 2-They shall come into force at once.
Amendment of Appendix-B(2)	2-In the Uttar Pradesh Horticulture and Food Processing Group-A Services Rules 1991 in Appendix B-2 Hill cadre, in column 4, at the end after the existing entry "Entomologist (Bee Keeping)" the following new entry shall be inserted:- "4-Plant Protection Officer."

By Order;
Sd/-
(Surjit Kaur Sandhu)

उत्तराखण्ड शासन
उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1,
संख्या– 268 /XVI(1)/09/1(55)/216/2002
दिनांक– 22 मई,2009

अधिसूचना
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली 1991 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली,1991) (संशोधन), नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991) (संशोधन),नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 5 का संशोधन :–उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली,1991 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त),के नियम 5 के उप नियम (2) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(2) अपर **निदेशक**–"सेवा में अपर निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पदों पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।"	**(2) अपर निदेशक**–"सेवा में अपर निदेशक के पद से ठीक नीचे के पद पर मौलिक नियुक्ति वाले ऐसे अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को ऐसे पदों पर दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि नियम (2) के अधीन पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो राज्यपाल, सरकार के किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अथवा किसी भी उपलब्ध स्रोत से सावधि संविदा पर नियुक्ति कर सकते है।"

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

..2/–